

**राजस्थान सरकार**  
**विधि एवं विधिक कार्य विभाग**

क्रमांक : प.24(3)न्याय/2015

जयपुर, दिनांक 14.2.2020


**::आज्ञा::**

राजस्थान विधिक (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 1981 के नियम 35 के अन्तर्गत निम्नलिखित अस्थाई कनिष्ठ विधि अधिकारियों को तुरन्त प्रभाव से कनिष्ठ विधि अधिकारी के पद पर एतद्वारा स्थाई किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम (सर्व श्री/श्रीमती/डॉ.)
1.	पवन कुमार
2.	रानू चौधरी
3.	पूजा
4.	अरविन्द कुमार चतुर्वेदी
5.	रजनी सिंघल
6.	सुनीता
7.	शिवानी शर्मा
8.	माधव सिंह राठौड़
9.	संदीप भारद्वाज
10.	पूनम कुमारी गुप्ता
11.	निशान्त गौड़
12.	कविता करनावट
13.	प्रीति गोयल
14.	नन्दकिशोर
15.	कन्हैया लाल जोशी
16.	राजेन्द्र कुमार
17.	प्रियंका राठौड़
18.	विनोद कुमार
19.	कमलेश शर्मा
20.	शालिनी मित्रुका
21.	संदीप शर्मा
22.	अफरोज तरन्नुम
23.	मीनाक्षी भारद्वाज
24.	विभात सीवर
25.	सत्यभान सिंह हाडा
26.	रुची शर्मा
27.	हिमांशु शर्मा
28.	अमित चौधरी
29.	प्रिन्स जैमन
30.	दिशा फौजदार
31.	विकास चौधरी
32.	नरेश मटाई
33.	हेमन्त सिंह
34.	शालिनी पाण्डेय
35.	भोम सिंह चौहान
36.	ज्योति शर्मा
37.	अरुण सिंह धाकड़
38.	सीता कुमारी
39.	दिनेश सिंह चारण
40.	राजू सिंह
41.	सोमदत्त खाण्डपा
42.	अनिल कुमार




क्र.सं.	नाम (सर्व श्री/श्रीमती/डॉ.)
43.	विशाल चौधरी
44.	रेणु
45.	कपिल तँवर
46.	महेन्द्र कुमार सैनी
47.	रोशन कुमार कोटिया
48.	आशीष गुर्जर
49.	कल्पेश पंचाल
50.	हंसराज टाटीवाल
51.	सपना वर्मा
52.	वेद प्रकाश मीणा
53.	हंसराज खटीक
54.	संदीप सौंठवाल
55.	सज्जन लाल कडेला
56.	राकेश कमल कुण्डारा
57.	मनोज कुमार
58.	विराट कुमार
59.	बाबूलाल मीणा
60.	अशोक कुमार मीना
61.	विनोद कुमार डाबी
62.	वीना अग्रवाल
63.	बालमुकन्द मीना
64.	विक्रम मीना
65.	चरण सिंह
66.	बृजलता वर्मा
67.	विनीत पण्ड्या
68.	यासिर अराफात
69.	जितेन्द्र कुमार जोशी
70.	प्रवीण डामोर
71.	विधि जोशी
72.	खुशबू चौबीसा
73.	राजकुमारी
74.	विकास अग्रवाल
75.	राकेश कुमार शर्मा
76.	अनीता शर्मा
77.	सरोज चतुर्वेदी
78.	हेमन्त कुमार धन्दे
79.	सुधीर कुमार वर्मा
80.	राजीव कुमार मीणा
81.	विक्रम सिंह मीना

आज्ञा से,  
  
 (मधुसूदन शर्मा)  
 संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
2. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
3. संबंधित कार्मिक/रक्षित पत्रावली।

  
 संयुक्त शासन सचिव